

प्रेषक,

ए0पी0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक-4408-

खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री और सम्पूर्ति के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-ले0शा0/1338/112/4408-खाद्यान्न/आय-व्ययक अनुमान दिनांक 01-11-2017, पत्र सं0-ले0शा0/01/187/2018-19/बजट दिनांक 02-4-2018 तथा वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के पत्र सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए खाद्यान्नों के क्रय में निम्नलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उसके सम्मुख अंकित धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

पूंजी लेखा

अनुदान संख्या-21

(धनराशि लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष 2018-19

लेखाशीर्षक-4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर

पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा

पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-

43-सामग्री और सम्पूर्ति (मतदेय) 1000000

योग (मतदेय) 1000000

(रूपये एक खरब मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय। इस आवंटित धनराशि में से मुख्यालय के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि रोककर शेष अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि को तत्काल आवंटित कर दे तथा आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

3- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों/मदों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की प्रतिपूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत होने वाले व्यय को वहन करने हेतु कोषागार से धनराशि के आहरण की माहवार फेजिंग अनिवार्य रूप से विभाग के कार्य की प्रकृति के अनुसार कर लिया जाय। जहां तक संभव हो व्यय की फेजिंग समान रूप से प्रति माह पूरे वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए समान रूप से की जाय। व्यय की फेजिंग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 को उपलब्ध करायी जाय। स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा ताकि राज्य स्तर पर कैश फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

6- आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय इसलिए विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे, तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किसी बड़े अन्तर की संभावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 के संज्ञान में लाया जाय।

8- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं तथा अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

9- जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाय तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, उसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) के साथ संबंधित अनुदान संख्या-आयोजनागत/आयोजनेत्तर/मतदेय/भारित का भी उल्लेख अवश्य किया जाय।

10- बी०एम०-8 तथा बी०एम०-13 पर प्रति माह की 10 तारीख तक नियत रूप से वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 को सूचना उपलब्ध करायी जाय।

11- इस शासनादेश के अन्तर्गत आवंटित होने वाली धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करके आहरण किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

12- उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-21 के अधीन प्रस्तर-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए०पी० त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 30प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, 30प्र० इलाहाबाद।
- 3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/ द्वितीय 30प्र० इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 4- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
- 5- स्थानिक प्रतिनिधि, स्थानिक प्रतिनिधि कार्यालय, द्वितीय तल 12 ए नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता।
- 6- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- खाद्य तथा रसद अनुभाग-4 तथा 5, 30 प्र0 शासन।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 30प्र0 शासन।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0पी0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।